"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2013— चैत्र 29, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संदीप शर्मा पिता श्री वैष्णो दत्त शर्मा, आयु-33 वर्ष, निवासी- वार्ड नं.-53, पोटिया कला, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय व शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों व मेरे पुत्र आहिल के जन्म प्रमाण-पत्र में मेरा नाम संदीप शर्मा दर्ज है तथा मेरी पत्नी श्रीमती शबाना समी के पासपोर्ट में जिसका क्रमांक . जी. 5093971 है में मेरा नाम त्रुटिवश मोहम्मद नासिर सलीम दर्ज हो गया है को सुधार कर संदीप शर्मा दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे संदीप शर्मा पिता श्री वैष्णो दत्त शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
मोहम्मद नासिर सलीम आत्मज-श्री वैष्णो दत्त शर्मा निवासी-वार्ड नं. 53, पोटियाकला, दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	संदीप शर्मा आत्मज-श्री वैष्णो दत्त शर्मा निवासी-वार्ड नं. 53, पोटियाकला, दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शालिनी टोपले ध. प. श्री निरंजन टोपले, आयु-47 वर्ष, निवासी- क्वा. नं.-8/डी, सड़क नं.-13, सेक्टर नं. -5, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. शालिनी हिंगवे पिता श्री गंगाधर हिंगवे के नाम से जानी, पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अंकित है. मेरा विवाह 16 मई, 1981 को निरंजन टोपले पिता बलीराम टोपले के साथ सम्पन्न हुआ, यह कि मेरे पति श्री निरंजन टोपले भिलाई इस्पात संयंत्र में चार्जमेन के पद पर कार्यरत हैं जिनका पर्सनल नं. 139201 है, मेरे पति के सर्विस रिकार्ड एवं अन्य विभागीय अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती नंदारानी टोपले ध. प. श्री निरंजन टोपले दर्ज हो गया है, को सुधार कर श्रीमती शालिनी टोपले ध. प. श्री निरंजन टोपले किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती शालिनी टोपले पति श्री निरंजन टोपले के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती नंदारानी टोपले ध. प.-श्री निरंजन टोपले निवासी-क्वा. नं. 8/डी, सड़क नं.-13 सेक्टर नं.-5, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती शालिनी टोपले ध. प.-श्री निरंजन टोपले निवासी-क्वा. नं. 8/डी, सड़क नं.-13 सेक्टर नं.-5, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सोनू मलिक पिता स्व. मोहम्मद हुसैन, आयु 21 वर्ष, निवासी- बोरिया खुर्द, एन-319, आर. डी. ए. कालोनी, रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय व शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम सोनू मलिक पिता स्व. मोहम्मद हुसैन दर्ज है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम साहिल हुसैन मलिक पिता स्व. मोहम्मद हुसैन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे साहिल हुसैन मलिक पिता स्व. मोहम्मद हुसैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
सोनू मलिक पिता-स्व. मोहम्मद हुसैन निवासी-बोरिया खुर्द, एन-319 आर. डी. ए. कालोनी रायपुर (छ. ग.)	साहिल हुसैन मलिक पिता-स्व. मोहम्मद हुसैन निवासी-बोरिया खुर्द, एन-319 आर. डी. ए. कालोनी रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवेन्द्र कुमार पिता श्री सी. आर. साहू, उम्र-40 वर्ष, निवासी- क्वा. नं. ई-369, कैलाश आवास परिसर, एच. टी. पी. एस. कालोनी, विद्युत नगर, दर्री, जिला-कोरबा (छ. ग.) का हूं. मैं विद्युत गृह पूर्व माध्यमिक विद्यालय, विद्युत नगर, दर्री, कोरबा (छ. ग.) में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम बाबूलाल साहू पिता श्री सी. आर. साहू अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम देवेन्द्र कुमार पिता श्री सी. आर. साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे देवेन्द्र कुमार पिता श्री सी. आर. साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
बाबूलाल साहू पिता-श्री सी. आर. साहू निवासी-क्वा. नं. ई-369 कैलाश आवास परिसर एच. टी. पी. एस. कालोनी विद्युत नगर, दर्री जिला-कोरबा (छ. ग.)	देवेन्द्र कुमार पिता-श्री सी. आर. साहू निवासी-क्वा. नं. ई-369 कैलाश आवास परिसर एच. टी. पी. एस. कालोनी विद्युत नगर, दर्री जिला-कोरबा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती स्वाति सिंह पति श्री विवेक सिंह, आयु-30 वर्ष, निवासी- म. नं.-10/796, शिवानंद नगर, सेक्टर-02, श्री नगर, खमतराई, रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व में कुमारी निर्मला रामटेके पिता श्री भानुप्रताप रामटेके निवासी श्री रामनगर कालोनी, खमतराई, रायपुर के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी, तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण -पत्रों एवं अन्य शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 05-05-2011 को विवेक सिंह पिता श्री हरिराम सिंह, निवासी-खमतराई, रायपुर के साथ हिन्दू-रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती स्वाति सिंह ध. प. श्री विवेक सिंह रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती स्वाति सिंह ध. प. श्री विवेक सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कु. निर्मला रामटेके पिता-श्री भानुप्रताप रामटेके निवासी-श्री रामनगर कालोनी खमतराई, रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती स्वाति सिंह पति-श्री विवेक सिंह निवासी-म. नं.-10/796 शिवानंद नगर, सेक्टर-02 श्री नगर, खमतराई, रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डॉ. एस. के गिदवानी पिता स्व. बी. डी. गिदवानी, आयु-49 वर्ष, निवासी- क्रांतिनगर, बिलासपुर तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने पुत्र पलक गिदवानी जो कि डी. ए. व्ही. पब्लिक स्कूल बसंत विहार बिलासपुर से वर्ष 2011-12 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण किया है का नाम परिवर्तित कर नया नाम प्रखर गिदवानी पिता डॉ. एस. के. गिदवानी रख लिया हूं तथा समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में नया नाम प्रखर गिदवानी अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को प्रखर गिदवानी पिता डॉ. एस. के. गिदवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
पलक गिदवानी पिता-डॉ. एस. के. गिदवानी निवासी-क्रांतिनगर, म. नं. के.-23, बिलासपुर तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	**प्रखर गिदवानी** पिता-डॉ. एस. के. गिदवानी निवासी-क्रांतिनगर, म. नं. के.-23, बिलासपुर तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवाशीष चिमनकर आ. श्री चन्द्रभान चिमनकर, आयु-35 वर्ष, निवासी- राहुल नगर, वार्ड नं. 29, लखोली, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों तथा शासकीय व अन्य दस्तावेजों में नाम देवानंद चिमनकर अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम देवाशीष चिमनकर रख लिया हूं तथा आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे देवाशीष चिमनकर पिता श्री चन्द्रभान चिमनकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
देवानंद चिमनकर पिता-श्री चन्द्रभान चिमनकर निवासी-राहुल नगर, वार्ड नं.-29 लखोली, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	देवाशीष चिमनकर पिता-श्री चन्द्रभान चिमनकर निवासी-राहुल नगर, वार्ड नं.-29 लखोली, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती साजिदा शेख पति श्री हसमत अली, आयु-34 वर्ष, निवासी- एम. आई. जी.-2/239, आमदी नगर, हुडको, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं कु. संध्या पिता श्री रामबली के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण -पत्रों एवं अन्य अभिलखों में अंकित है व मेरी जन्मतिथि-06-08-1978 है. मेरा विवाह श्री हसमत अली से इस्लामी रीति-रिवाज से सम्पन्न हुआ, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती साजिदा शेख पति श्री हसमत अली रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती साजिदा शेख पति हसमत अली के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कु. संध्या पिता-श्री रामबली	श्रीमती साजिदा शेख पति-श्री हसमत अली निवासी-एम. आई. जी.-2/239 आमदी नगर, हुडको, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गणेश कुमार गोस्वामी पिता श्री गोपाल कृष्णन, आयु-40 वर्ष, निवासी- क्वा. नं. 20/एफ., सड़क नं.-32, सेक्टर-10, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मेरी जन्मतिथि 22-06-1972 है, यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, भिलाई इस्पात संयंत्र के रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजों में मेरे नाम के साथ मेरा उपनाम गणेश कुमार "महार" आ. गोपाल कृष्णन दर्ज है को परिवर्तित कर मैं अपना नया उपनाम गणेश कुमार "गोस्वामी" रख लिया हूं. तथा आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे गणेश कुमार गोस्वामी पिता श्री गोपाल कृष्णन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
गणेश कुमार महार पिता-श्री गोपाल कृष्णन निवासी-क्वा. नं.-20/एफ. सड़क नं.-32, सेक्टर-10, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	गणेश कुमार गोस्वामी पिता-श्री गोपाल कृष्णन निवासी-क्वा. नं.-20/एफ. सड़क नं.-32, सेक्टर-10, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुमार आ. श्री गंगाराम देवांगन, आयु-45 वर्ष, जाति-कोष्टा, निवासी- क्वा. नं. 17-बी, सड़क एवेन्यू-बी, सेक्टर-01, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, शासकीय अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम कुमार दर्ज है. मैं अपने नाम के आगे अपना उपनाम (सरनेम) "देवांगन" जोड़कर अपना नया नाम कुमार देवांगन रख लिया हूं तथा आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे कुमार देवांगन पिता श्री गंगाराम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कुमार पिता-श्री गंगाराम देवांगन निवासी-क्वा. नं.-17-बी सड़क एवेन्यू-बी., सेक्टर-01, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कुमार देवांगन पिता-श्री गंगाराम देवांगन निवासी-क्वा. नं.-17-बी सड़क एवेन्यू-बी., सेक्टर-01, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक /503/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजू शर्मा, भूषण वर्मा, रामनारायण अग्रवाल, अजय अग्रवाल, अपनीन्द्रनाथ अग्रवाल, निबारी तुलसी/तिल्दा, जिला रायपुर द्वारा बिष्णु धर्मशाला सार्वजनिक न्यास, तुलसी को छ. ग. लोक न्याय अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : बिष्णु धर्मशाला सार्वजनिक न्यास ग्राम तुलसी, तिल्दा
2. चल संपत्ति : 3,000/- रु, नगद
3. अचल संपत्ति : ग्राम तुलसी, प. ह. नं. 17, तहसील तिल्दा स्थित भूमि खसरा नं. 22/2 रकबा 9.591 हे.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 26-04-2013 उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21-03-2013 को जारी.

बी. सी. साहू,
पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली, जिला महासमुंद

सरायपाली, दिनांक 30 मार्च 2013

क्रमांक /155/क/वा-1/अविअ./2013.—चूंकि प्रमुख ट्रस्टी श्री दुर्गा मंदिर सेवा समिति सरायपाली द्वारा श्री रामचन्द्र अग्रवाल सरायपाली द्वारा ग्राम सरायपाली में श्री दुर्गा मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट की स्थापना कर ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन व व्यवस्था किये जाने हेतु समिति का गठन कर ट्रस्ट बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई न्यायालय में दिनांक 31-5-13 को नियत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र के संबंध में कोई भी व्यक्ति को आपत्ति/दावा प्रस्तुत करना या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के तहत नियत अवधि में इस न्यायालय में लिखित में दो प्रतियों में आपत्ति/दावा या सुझाव स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावा या सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री दुर्गा मंदिर सेवा समिति सरायपाली, प. ह. नं. 14, रा. नि. मं. एवं तहसील सरायपाली जिला-महासमुंद (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	नगद राशि -10001/- रु.
3.	अचल संपत्ति	:	सरायपाली में स्थित भूमि ख. नं. 682/2 का भाग कुल क्षेत्रफल 16868 वर्गफुट

अरविंद शर्मा,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.